'संसदों के विस्थापन से उत्पन्न चुनौतियां और अवसर' विषय पर भाषण, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन, कनाडा, 6 से10 जनवरी, 2020.

माननीय सभापति; गण्यमान्य प्रतिनिधिगण; देवियों और सज्जनो

- सबसे पहले मैं राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन के संबंध में किए गए उत्कृष्ट प्रबंध की दिल से सराहना करता हूं। हमारे हार्दिक आदर सत्कार के लिए हम बहुत आभारी हैं और हम यहां से इस सम्मेलन की सुखद यादें लेकर वापस जाएंगे।
- जैसा कि आप सभी जानते हैं संसद भवनों की वास्तुकला, राष्ट्रीयता और राज्य की आकांक्षाओं का प्रतीक होती है। कई संसदों का निर्माण और उनका नवीकरण उन्नीसवीं सदी के मध्य में और उसके बाद हुआ था। संसद भवनों का नवीकरण और उनका पुनरुद्धार पूरे विश्व के विधानमंडलों के लिए चिंता का विषय रहा है। जन प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या और बढ़ते हुए कार्य के परिणामस्वरूप पूरे विश्व में विधानमंडलों का विस्तार हो रहा है। नवीकरण और निर्माण से संसदों को सांस्कृतिक, तकनीकी और संरचना में ऐसे बदलाव करने के अवसर मिलते हैं जिससे नागरिकों को अपनी संसदों से जुड़ने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है।
- संसद, कई रूपों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि यहां ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं जो देश की शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संसदों के भवन अधिकांशतः प्रभावशाली और सुंदर होते हैं। संसद भवन अपने स्वरूप से राष्ट्र के चरित्र, उसकी परंपराओं तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। हमारी संसद के भवनों से जुड़े सांस्कृतिक मूल्य एक सामूहिक समाज के रूप में हमारी पहचान को दर्शाते हैं और इस प्रकार जनप्रतिनिधियों को कुशलता और सुगमता के साथ अपना कार्य करने में सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि वास्तव में अनेक देशों में संसद अथवा विधानमंडल भवनों को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है।

- संसद भवनों के स्थान और उनकी मजबूत संरचना उन्हें एक अलग छवि प्रदान करती है और संसद सदस्यों को संसदीय प्रणाली से जुड़ी जिम्मेदारी का स्मरण कराती है। संसद भवन किसी देश की राजनैतिक संस्कृति में भी अपना योगदान देते हैं। ये भवन इतिहास को संजोए रखते हैं, वर्तमान की रचना करते हैं और देश के भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप, व्यापक रूप से देश के सामूहिक भविष्य पर विचार करते हुए ये प्रत्येक कार्य संसद भवनों के नवीकरण और उनके पुनरुद्धार की आवश्यकता पैदा करते हैं।
- गण्यमान्य प्रतिनिधिगण, 19वीं सदी में निर्मित विश्व में ऐसे दो दर्जन संसद भवन हैं जो अभी भी उपयोग में हैं और उनमें से अधिकांशत यूरोप और अमरीका महाद्वीप में हैं। वर्तमान में मौजूद अधिकांश विधानमंडल भवनों का निर्माण 20वीं सदी में हुआ था जिनमें से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में इस अवधि के दौरान अधिकतम विधानमंडल भवनों में कार्य आरंभ हुआ। विगत वर्षों के दौरान, समय के साथ-साथ पुराने होते जाने और लगातार बढ़ते उपयोग के बावजूद ये संसद भवन, अपने देश के प्रतीक के रूप में अभी भी कायम हैं। ऐसी स्थिति में आज पूरे विश्व के सामने संसद भवनों के संरक्षण, पुनरुद्धार और नवीकरण जैसे कुछ सर्वाधिक जटिल मुद्दे आ रहे हैं।
- हम सबके ध्यान में यह बात आई है कि संसद भवनों का निर्माण होने के बाद गत वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव आए हैं। वर्तमान समय में बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ भवनों की आयोजना और उनके नवीकरण की प्रक्रिया में भी बदलाव आना चाहिए। गत वर्षों के दौरान अनेक मुद्दे सामने आए हैं और आने वाले वर्षों में इनके और बढ़ने की संभावना है। इन अनेक मुद्दों में संसद सदस्यों की संख्या में बड़े पैमाने पर परिवर्तन और बदलते हुए कार्यों के अनुरूप स्थान में वृद्धि न होना; भवनों के निर्माण में आधुनिक तकनीक को शामिल करते हुए समेकित सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की आवश्यकता; समय के साथ-साथ संसद भवनों की स्थिति खराब होना और सदस्यों के लिए घटिया और अस्थायी सुविधाओं का उपयोग आदि शामिल हैं।
- इन मुद्दों के चलते विधायी संस्थाओं को संसदीय भवनों के नवीकरण और उनके पुनरुद्धार के बारे में विचार करना पड़ा ताकि संसदों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। विश्व स्तर पर, संसद भवनों की मरम्मत के लिए बड़े नवीकरण कार्यक्रम आरंभ किए

जाने के अनेक उदाहरण हैं। नवीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत स्टाफ और संसद सदस्यों के लिए स्थान की कमी तथा वास्तुकला और विरासत को कायम रखते हुए भविष्य के लिए संसद तैयार करने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कम से कम पूंजी तथा संसदीय कार्यों में न्यूनतम व्यवधान के साथ कम से कम समय-सीमा में नवीकरण कार्यक्रम को पूरा करने की दृष्टि से यह बदलाव लाने के लिए स्टाफ और सदस्यों के साथ संपर्क किया जाना महत्वपूर्ण है।

- यदि हम अपने देश की बात करें तो भारत में विशाल, गोल संसद भवन किसी भी देश में मौजूद वास्तुकला का एक शानदार और अप्रतिम उदाहरण है। हमारे संसद भवन का निर्माण घरेलू सामग्री से भारतीय श्रमिकों द्वारा किया गया था और भवन की वास्तुकला भारतीय परंपरा को बहुत बारीकी से दर्शाती है। भवन में ध्वनि व्यवस्था, वातानुकूलन और स्वचालित मत रिकार्डिंग प्रणाली में आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों के साथ-साथ प्राचीन भारतीय कला की विशेषताओं को शामिल किया गया है।
- यद्यपि, संसद भवन को एक विरासत भवन घोषित किया गया है और चूंकि, यह एक जीवंत विरासत भवन है जिसकी नियमित आधार पर रख-रखाव की आवश्यकता होती है इसलिए, इसे अन्य विरासत भवनों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। विशेष रूप से तेजी से विकसित हो रही इस संस्था की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए विगत दशकों के दौरान, इस भवन में अतिरिक्त निर्माण/बदलाव किए गए हैं। इस भवन के विरासत स्वरूप और इसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए लोक सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर के पारंपरिक स्वरूप के अनुरक्षण और विकास संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया है। यह जेपीसी, संसद भवन के पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखने और उसकी सुरक्षा करने और उसके सौंदर्य और मूल स्वरूप को बचाए रखने संबंधी निर्णय लेती है। हमारी संसद में "हेरीटेज मैंनेजमेंट शाखा" नामक एक शाखा बनाई गई है जिसका कार्य संसद भवन परिसर के पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए जारी किए गए अनुदेशों/निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- भारत में संसद भवन परिसर के नवीकरण और उसका पुनरुद्धार संबंधी कार्य करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इन कार्यों में कभी भी प्रक्रिया संबंधी औपचारिक या प्रशासनिक बाधाएं नहीं आई हैं तथा कभी भी संसदीय कार्य संचालन प्रभावित नहीं हुआ है।

- भारत की संसद ने अपने गौरवशाली 92 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपने बढ़ते मैनडेट के साथ संसद के दायित्व भी बढ़े हैं। संसद सदस्यों और स्टाफ को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए संसद भवन में सुविधाओं को बढ़ाने की भी आवश्यकता है जिससे कि 'नया भारत' भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर है।
- हम वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर एक नए संसद भवन में अपना सत्र आयोजित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की नार्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन सहित 1911 और 1927 के बीच निर्मित भवनों का पुनर्निर्माण करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस समय इस परियोजना का कार्य पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा नवम्बर, 2021 है तथा संसद भवन का निर्माण कार्य मार्च, 2022 तक और साझे केंद्रीय सचिवालय का कार्य मार्च, 2024 तक पूरा किया जाना है।
- हमने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले विशिष्ट सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का विशाल कार्य आरंभ कर दिया है। इस पुनर्विकास कार्य का लक्ष्य कम से कम 250 वर्षों की भावी आवश्कताओं को पूरा करना है।
- इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे इस सम्मेलन में भाग लेकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। यद्यपि, हमने अपनी संसदों का उन्नयन करने में काफी प्रगति की है। तथापि, मुझे विश्वास है कि समय की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक, विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक ऊर्जा कुशल संसद भवनों का निर्माण करने हेतु इस सम्मेलन में हो रही चर्चाएं एक दूसरे के अनुभव साझा करने तथा जानकारी प्राप्त करने में काफी सहायक सिद्ध होंगी। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
- धन्यवाद।